

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 601/15

संस्थापन दिनांक : 18.08.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—दलवीरसिंह गुर्जर पुत्र गोपालसिंह उम्र 32 वर्ष
निवासी निहालसिंह का पुरा (ऐन्हों) थाना एण्डोरी
जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 323, के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 498ए भा.द. स. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने वर्ष 2006 से लगातार दिनांक 08.06.15 के मध्य फरियादी सीमा अ0सा02 का घर निहालसिंह का पुरा ऐनो थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सीमा गुर्जर अ0सा02 के पति होते हुए फरियादी के प्रति क्रूरता कारित की तथा फरियादी सीमा अ0सा02 से अवैध दहेज की मांग की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सीमा अ0सा02 की शादी वर्ष 2006 में हिन्दू रीति रिवाज से दलवीरसिंह निवासी ऐन्हों निहालसिंह के पुरा के साथ हुई थी। वर्तमान में फरियादी सीमा अ0सा02 के दो लड़के तथा एक लड़की है जो उसके साथ ही ही गांव ऐन्हों में ही रहते हैं। शादी के बाद से ही उसका पति दलवीर उसे दहेज एवं अन्य बातों के लिए परेशान करता है व उसकी मारपीट करता है। दिनांक 08.06.15 को सुबह उसके पति आरोपी दलवीर ने उसे बहुत मारा जिससे उसके पीठ व हाथ में मूंदी चोट आई। यह बात उसने अपने चाचा कम्प्यूटर के मोबाइल पर बताया तो चाचा उसे घर से लेकर थाने आये। तत्पश्चात फरियादी सीमा अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-3 दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप0क0 70/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
 1. क्या आरोपी ने वर्ष 2006 से लगातार दिनांक 08.06.15 के मध्य फरियादी सीमा अ0सा02 का घर निहालसिंह का पुरा ऐनो थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सीमा गुर्जर अ0सा02 के पति होते हुए फरियादी के प्रति क्रूरता कारित की ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सीमा अ0सा02 से प्रत्यक्ष दहेज की मांग की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रं0 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी सीमा अ0सा02 ने कथन किया है कि उसकी शादी दलवीर से वर्ष 2006 में हुई थी जिससे घर गृहस्थी की बात पर उसकी लड़ाई हो जाती थी और उसने जाकर रिपोर्ट प्र0पी-3 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और इलाज करवाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दलवीर उसे दहेज के लिए परेशान करता था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि दिनांक 08.06.15 को दलवीर ने उसकी मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा01 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.15 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना एण्डोरी के आरक्षक योगेन्द्र क्रमांक 594 द्वारा लाये जाने पर उसने आहत सीमा पत्नी दलवीर निवासी निहालसिंह का पुरा का परीक्षण किया था जिसमें आहत को बांये हाथ के पीछे के भाग में नील का निशान था जिसके एक्स-रे की सलाह दी गयी थी तथा आहत को पीठ में दर्द की शिकायत थी परीक्षण में कोई चोट नहीं थी। उसके मतानुसार आहत को आई चोट कड़े व भौथरी वस्तु से आना संभावित है जो परीक्षण के 6 से 24 घण्टे के अंदर की है। चोट क्रमांक 2 साधारण प्रकृति की है चोट क्रमांक 1 का प्रकार एक्स-रे के द्वारा दिया जायेगा। उसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10.06.15 को ही उसने आहत का एक्स-रे परीक्षण किया था जिसमें आहत के बांये हाथ की दूसरी, तीसरी तथा पांचवी मेटाकार्पल हड्डी में पुराना जुड़ा हुआ अस्थिभंग होना पाया था। एक्स-रे रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. अतः प्रकरण में सीमा अ0सा02 फरियादी व आहत हैं परन्तु उसी के द्वारा इंकार किया गया है कि आरोपी ने उसके प्रति क्रूरतापूर्ण आचरण किया। अतः

प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१ की संपुष्टिकारक साक्ष्य उपयोगहीन हो जाती है।

8. अतः स्वयं फरियादिया व आहत सीमा अ०सा०१ द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने वर्ष 2006 से लगातार दिनांक 08.06.15 के मध्य फरियादी सीमा अ०सा०२ का घर निहालसिंह का पुरा ऐनो थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर फरियादी सीमा गुर्जर अ०सा०२ के पति होते हुए फरियादी के प्रति क्रूरता कारित की तथा फरियादी सीमा अ०सा०२ से अवैध दहेज की मांग की।
9. परिणामतः आरोपी को धारा 498ए भा.द.स. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)